न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

UPBH010060862025

परिवाद संख्या–176/2025

लक्ष्मी **बनाम** दीपक यादव आदि।

थाना–मोतीपुर, जनपद बहराइच।

03.08.2026

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार के पश्चात भी परिवादिनी व उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं है। परिवादिनी विगत कई तिथियों से उपस्थित नही आ रही है। पत्रावली परिवादिनी के बयान/साक्ष्य अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. हेतु नियत है परन्तु परिवादिनी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिवादिनी विगत कई तिथियों से न्यायालय में हाजिर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने परिवाद पर बल नहीं देना चाहती है और न ही कोई साक्ष्य ही उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में परिवादिनी का यह परिवाद, परिवादिनी द्वारा बल न दिये जाने के कारण धारा 226 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद बी.एन.एस.एस. की धारा 226 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।